AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. मुकुल रंजन गोयल
शोध निदेशक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्ना. महाविद्यालय,
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, भारत

श्रीमती शशिमा कुजूर
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय
सरगुजा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक वास्तविकता से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की वास्तविकता को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से समझना तथा प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पायी जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रयोग करना होता है। सशक्तिकरण एक निरन्तर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के ऊपर पुरूषों के नियंत्रण के संदर्भ में नियमन का कार्य करता है। पुरूषों एवं महिलाओं के मध्य शक्ति के वितरण के नियमन के माध्यम से, सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं को पितृसत्तात्मक दबावों की परवशता एवं अधीनता की प्राचीन संस्कृति से मुक्त करती है। भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा–निहित प्रावधान के अनुसार सभी लोगों को समान अधिकार देता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, अपितु महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए राज्य को अधिकृत भी करता है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिये सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलायी गयी है। जनजातीय महिलाओं के लिए चलाये जा रहे शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों ने न केवल महिलाओं के पारिवारिक दृष्टिकोण अपितु सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। सरकार द्वारा संचालित संबद्ध कार्यक्रमों से जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। प्रस्तुत शोध सरगुजा जिले के अम्बिकापुर एवं सीतापुर विकासखण्ड़ के 10 ग्राम पंचायतों के 200 उत्तरदाताओं पर आधारित है। सरगुजा अंचल में जनजातियों की बहुलता रही है। प्रस्तुत शोध अध्ययन सरगुजा जिले के जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत् महिलाओं के सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास में सहायक होगा और वे अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति ओर अधिक जागरूक हो सकेगीं।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, जनजाति, आत्मनिर्भर, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति.

प्रस्तावना

सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक वास्तविकता से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की वास्तविकता को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से समझना तथा प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पायी जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रयोग करना होता है।

सशक्तिकरण एक निरन्तर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के ऊपर पुरूषों के नियंत्रण के संदर्भ में नियमन का कार्य करता है। पुरूषों एवं महिलाओं के मध्य शक्ति के वितरण के नियमन के माध्यम से, सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं को पितृसत्तात्मक दबावों की परवशता एवं अधीनता की प्राचीन संस्कृति से मुक्त करती है।1

महिलाओं को सशक्त करने का यही उद्देश्य है – उन्हें उनकी अर्न्तनिहित प्रतिभाओं, योग्यताओं, क्षमताओं एवं वास्तविक पहचान से परिचित कराया जाये एवं उनमें वृद्धि की जाये।

सत्तर के दशक में 'महिला सशक्तिकरण' शब्द का प्रयोग सामाजिक न्याय एवं महिला समानता हेतु महिलाओं के संघर्ष को निश्चित एवं सुगम करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संरचनाओं में परिवर्तन के लिए किया गया था।

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा–निहित प्रावधान के अनुसार सभी लोगों को समान अधिकार देता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, अपितु महिलाओं के संचयी सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने तथा महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए राज्य को अधिकृत भी करता है।

आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति विलुप्त हो गईं या विलुप्ति के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है। ये आदिवासी और जनजातियाँ जंगलों, नदी, नालों और जंगली जानवरों के बीच सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। भारतीय समाज में किसानों, दलितों, आदिवासियों और जनजातियों का एक ऐसा विशाल समूह हमेशा से विद्यमान रहा है, जो अभावग्रस्त और मुख्यधारा से विमुख है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सरकारी योजनाओं से यह वर्ग वंचित रहा है।

वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिये सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलायी गयी है। सरगुजा अंचल में जनजातियों की बहुलता रही है। इस क्षेत्र की जनजातियां मुख्यतः तीन प्रजातियों से संबंधित रहीं हैं। मुंडारियम समूह के अन्तर्गत कोल या मुंडा, कोरवा, विंजहोर तथा खैरवार जनजातियाँ, द्रविड़ समूह के अन्तर्गत गोंड़, ओराँव, परजा तथा खोंड़ जनजातियॉ एवं आर्यन समूह के अन्तर्गत बैगा, कमार, कंवर, साबर और प्रधान जनजातियाँ आती हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन सरगुजा जिले के जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत् महिलाओं के सर्वागींण व समरसता पूर्ण विकास में सहायक होगा। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत हो जाने पर वे अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति ओर अधिक जागरूक हो सकेगीं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकां पर बेहतर पहुँच व नियंत्रण हासिल कर पायेंगी।

शोध के उद्देश्य

1. जनजातीय परिवारों की जनांकिकीय संरचना, व्यक्तित्व व व्यवहार–प्रतिमानों और उनमें अन्तर्निहित धाराओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करना।

शोध कार्य की परिकल्पनाएँ

1. जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण में पर्याप्त वृद्धि हुई।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला मानी जाने वाली निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

इकाई का चुनाव

सरगुजा जिले में 7 विकासखण्ड़ अम्बिकापुर, लखनपुर, मैनपाट, सीतापुर, उदयपुर, लुण्ड्रा एवं बतौली हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अम्बिकापुर एवं सीतापुर विकासखण्ड को आधार बनाया गया है।

अम्बिकापुर विकासखण्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 43,191 (4.72 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,10,407 (39.47 प्रतिशत) है।

सीतापुर विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 96,131 है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5,258 (5.47 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 68,001 (70.74 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से यह सरगुजा जिले का तीसरा सबसे बड़ा विकासखण्ड है।

उत्तरदाताओं का चयन

अम्बिकापुर एवं सीतापुर विकासखण्ड़ 10 ग्राम पंचायतों से कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन कर सर्वेक्षण कार्य निष्पादित किया गया है।यह शोध अध्ययन तीन चरणों में पूर्ण किया गया है। प्रथम चरण में प्राथमिक सामग्री में शोध विषय से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों, पहलुओं के आधार पर अनुसूचियों को भरकर तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीय चरण में द्वितीयक समंको के संग्रहण के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित एवं प्रकाशित समंक, शोध ग्रन्थ, पुस्तकें, पांडुलिपियॉ, जनगणना रिपोर्ट अभिलेख, गजेटियर, पत्र–पत्रिकाएँ एवं इन्टरनेट पर उपलब्ध सामग्री को सम्मिलित किया गया है। तृतीय चरण में शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर संख्यात्मक सारणियों में रखा गया है साथ ही प्रमाणित सांख्यिकी एवं अन्य विधियों की सहायता से निर्वचन कार्य किया गया है।

लिंगानुसार विवरण

सीतापुर विकासखण्ड के 98 प्रतिशत एवं अम्बिकापुर विकासखण्ड में 94 महिला उत्तरदाता हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण क्षेत्र में कुल 96 प्रतिशत उत्तरदाता महिला हैं।

उत्तरदाताओं का जातिवार विश्लेषण

अनुसूचित जातिः सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति वर्ग की 9.5 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति रदाता सम्मिलित हैं।

शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

सर्वेक्षण क्षेत्र में 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी है, 41. 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की अधूरी जानकारी है, 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की कोई जानकारी नही है, जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के संबंध में कोई अभिमत नही दिया हैं।

जीवन स्तर में सुधार

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं से 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में गुणात्मक सुधार हुआ है, जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उनके जीवन में काई उल्लेखनीय सुधार नही हुआ है।

लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति

सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि शासकीय जनकल्याणकारी रोजगारपरक योजनाओं के परिणामस्वरूप 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं में रोजगार आधारित आत्मनिर्भरता बढ़ी है, 15.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं में आत्मनिर्भरता नही बढ़ी है, जबकि 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि वे इस संबंध में कुछ नही कह सकते है।

योजनाओं की कमियों के संबंध

इस संबंध में छः बिन्दुओं पर उत्तरदाताओं से उनका अभिमत लिया गया। ये बिन्दु क्रमशः भ्रष्टाचार, योजनाओं की जानकारी नही होना, पंचायत सचिव द्वारा जानकारी न देना, काम के लिये बार–बार चक्कर लगाना, अधिकारियों द्वारा उपेक्षा तथा तकनीकी व अन्य समस्या से संबंधित रहे हैं।

सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 26.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार होने, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी न होने, 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पंचायत सचिव द्वारा जानकारी न देने, 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने काम के लिये बार–बार चक्कर लगाने, 10.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किये जाने एवं 9.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तकनीकी व अन्य समस्याओं से जुड़ी कमियों की जानकारी प्रदान की है।

सामाजिक सशक्तिकरण

31 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि शासकीय योजनाओं से उनके सामाजिक जीवन में सशक्तिकरण हुआ है, 59.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उनके शासकीय योजनाओं से उनके सामाजिक जीवन में सशक्तिकरण नही हुआ है तथा 9.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने का अभिमत है कि वे इस संबंध में कुछ कह नही सकते है।

स्वयं सलाह लेने की स्वतंत्रता

जनजातीय महिलाओं में स्वयं सलाह लेने की स्वतंत्रता का अभाव रहा है। योजनाओं के फलस्वरूप जनजातीय महिलाओं द्वारा सलाह लेने की स्वतंत्रता के संबंध में स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण क्षेत्र में 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सलाह लेने की स्वतंत्रता होने के पक्ष में अपना अभिमत दिया है।

निष्कर्ष

विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई उपकरण नहीं है।' यह सच है कि महिलाओं का उत्थान सिर्फ एक महिला के लिए ही नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण महिला के साथ–साथ परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों को अंधकार की गलियों से उजाले की तरफ ले जा सकती है। स्त्रियां भी पुरुषों के समान क्षमतावान हैं, उन्हें पूर्णतः शैक्षिक अधिकार व तर्क–वितर्क का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिसके माध्यम से वह पितृसत्ता के बंधनों से मुक्त हो सकती हैं। जनजातीय महिलाओं के लिए चलाये जा रहे शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों ने न केवल महिलाओं के पारिवारिक दृष्टिकोण अपितु सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। सरकार द्वारा संचालित संबद्ध कार्यक्रमों से जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।

संदर्भ सूची

1. लवानियॉ, एम. एम. (2016–17) *भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र,* पुर्नप्रकाशन 2016–17, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 4।
2. व्यास, मीनाक्षी (2006) *नारी चेतना और सामाजिक विधान,* रोशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर, पृ. 14।
3. कौशिक, आशा (2004) *नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ,* पोइन्टर पब्लिसर्श, जयपुर, पृ. 3।
4. गोंड, प्रतिभा (2021) *महिला सशक्तिकरणः चुनौतियॉ एवं संभावनाएँ,* बलू बक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 83।
5. अलंग, संजय (2016) *छत्तीसगढ़ की जनजातियॉ,* द्वितीय संस्करण, जन ज्ञान विज्ञान समिति, इलाहाबाद, पृ.16।
6. वार्षिक प्रतिवेदन, 2021–22, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 142।
7. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022–23, आदिमजाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, पृ. 2।
8. www. surguja.gov.in/जनसांख्यिकी/Assess on 30/3/24.
9. http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee /11strindx.htm/Assess on 2/4/24.

––==00==––